न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 108 / 2024
दायर दिनांक :– 20.06.2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024 / 152
निर्णय दिनांक :– 28.08.2025

1. दानसिंह पुत्र हमीरसिंह जाति राजपूत निवासी खारिया रिडमलसर तह. आउ जिला फलोदी
2. भजनाराम पुत्र छोटूराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
3. मोहनराम पुत्र छोटूराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
4. सुखराम पुत्र छोटूराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थीगण

बनाम

1. जगदीशराम पुत्र मामराज जाति विश्नोई निवास नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
2. बाबुराम पुत्र मामराज जाति विश्नोई निवास नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
3. भगवानाराम पुत्र मामराज जाति विश्नोई निवास नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
4. मोहनराम पुत्र मामराज जाति विश्नोई निवास नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
5. रूपाराम पुत्र मामराज जाति विश्नोई निवास नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
6. हरिराम पुत्र मामराज जाति विश्नोई निवास नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
7. बाबुराम पुत्र बीरूराम जाति विश्नोई निवासी जम्भसागर तहसील आउ जिला फलोदी
8. अर्जुनराम पुत्र खेताराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
9. धीमाराम पुत्र खेताराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
10. बगडूराम पुत्र खेताराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
11. मुकाराम पुत्र खेताराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
12. सुजानाराम पुत्र खेताराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
13. ओमप्रकाश पुत्र मुकाराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
14. गोरधनराम पुत्र मुकाराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
15. जयप्रकाश पुत्र रामचन्द्र जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
16. रविन्द्र पुत्र रामचन्द्र जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
17. रोशनी पत्नी रतिराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
18. नथुराम पुत्र जगमालराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
19. नेनू पत्नी नथूराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
20. नेनू पत्नी मदनराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
21. मदनराम पुत्र नथूराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
22. मांगीराम पुत्र जगमालराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

23. रामेश्वरलाल पुत्र मांगीलाल जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
24. शिशपाल पुत्र मांगीराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
25. हुकमाराम पुत्र नथूराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
26. गोपालराम पुत्र नथूराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
27. जीवणराम पुत्र भेराराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
28. सहीराम पुत्र भेराराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
29. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

उपस्थित :—1. श्री प्रकाश विश्नोई अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

—:: निर्णय ::—

प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकारों की कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नम्बर 1569 रकबा 7.4948 हैक्टेयर ग्राम कानासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप जिला फलोदी (राज.) की सरहद में स्थित है। जमाबन्दी व राजस्व भू—नक्शा की वर्तमान प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त खसरा के पैमाईश आवेदन पर तहसीलदार बाप द्वारा दिनांक 31.05.2023 को जारी आदेश क्रम संख्या 117 की पालना में दिनांक 27.06.2023 को हल्का पटवारी द्वारा मौके पर पहुंच कर मुस्तकिल बिन्दु से पैमाईश कर मौका पर ही फर्द पैमाईश तैयार कर मौतबीरान के रूबरू प्रार्थीगण तथा पड़ौसी खातेदारान को सीमा ज्ञान करवाया गया तथा सीमा चिहन कायम किये गये। दिनांक 27.06.2023 को हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थीगण के उक्त खसरे की पैमाईश कर कायम किये गये सीमा चिन्हो (फर्द नजरी नक्शा) के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा वर्षा ऋतु के मध्यनजर अपने उक्त खसरे की सीमाओं पर फसल, घास, पाला आदि की सुरक्षा के लिए पत्थर की पट्टियां रोपकर बाड़, तारबन्दी इत्यादि करना शुरू करने पर अप्रार्थीगण सं. 1 ता 28 द्वारा व्यवधान पैदाकर प्रार्थीगण को तारबंदी नहीं करने दे रहे है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि की बाड़, तारबंदी नहीं हो पाने से प्रार्थीगण अपनी फसल, घास, पाला इत्यादि की सुरक्षा पत्थर की पट्टिया रोपकर तारबंदी, जाली नहीं कर पाने से प्रार्थीगण को अत्यधिक आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि की मौका फर्द दिनांक 27.06.2023 के माफिक सीमा पर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी है, जिसका यह प्रार्थना पत्र पत्थरगढी करवाने का पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 29 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

...संख्या 1 ता 28 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम कानासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 1569 रकबा 7.4948 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थीगण द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि की पुनः पैमाईश करवाई जाकर इसी अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि ग्राम कानासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 1569 रकबा 7.4948 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी वादग्रस्त भूमि के खातेदार है रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थर गढी करवाने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए उक्त खसरान् की मुस्तकिल बिन्दु से पुनः पैमाईश की जाकर पैमाईश अनुसार पत्थरगढी करवाने के हकदार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम कानासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 1569 रकबा 7.4948 हैक्टेयर भूमि की पत्थर गड्ढी मुस्तकिल बिन्दु से पुनः पैमाईश की जाकर पैमाईश अनुसार पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा किये जाने पर तहसीलदार बाप उक्त आदेश की पालना में विधिवत पत्थर गडढी करवावे। अगर आवश्यकता हो तो शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर

28/8/25

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)